अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 82/2012

विरेन्द्र सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
10.06.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, छपरा के ज्ञापांक 2185, दिनांक 24.07.12 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को जिला स्तरीय जांच दल संख्या 12 अनुमंडल पदाधिकारी,सोनपुर,सारण द्वारा विरेन्द्र सिंह ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–17/2007, पंचायत–मदारपुर, प्रखंड–मशरक थाना–मशरक की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई। 1. कई माहों से राशन का वितरण नहीं करना। 2. केवल छठ के अवसर पर वितरण करना। 3. मात्रा कम एवं मूल्य अधिक लेना। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 538/गो0, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में कूपन प्राप्त कर ससमय अनुदानित सामग्री का वितरण उपभोक्ताओं के बीच किया	

जाता है। वितरण कार्य निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष किया जाता है। विक्रेता के विरूद्ध लगाये गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार है। ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के किसी विरोधी के द्वारा विक्रेता को परेशान करने की नीयत से विक्रेता के विरूद्ध गलत बयानी की गई है। विक्रेता के द्वारा जब भी खाद्यान्न का उठाव किया जाता है तो उसका ससमय वितरण किया जाता है। किसी किसी माह में निर्गामादेश ससमय प्राप्त नहीं होने की वजह से खाद्यान्न का आवंटन व्ययगत हो जाता है, और इस तरह उपभोक्ताओं का कूपन उन्ही के पास रह जाता है। इसका यह अर्थ नही है कि विक्रेता के द्वारा प्राप्त सामग्री की कालाबाजारी की गई है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में आचरण न करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश (2185, दिनांक 24.07.2012) एक मुखर आदेश नहीं है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विहित कारण पृच्छा में विक्रेता के विरूद्ध शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं का नाम अंकित नहीं है, और न ही, विक्रेता को कारण पृच्छा के साथ उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति ही उपलब्ध कराई गई है, जिससे उक्त कारण पृच्छा अपूर्ण एवं अस्पष्ट हो जाता है। विक्रेता से प्राप्त कागजात की जांच के क्रम में यदि कोई अनियमितता पाई गई तो यह आवश्यक था कि विक्रेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं विक्रेता से प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को REMAND किया जाता है कि विक्रेता से सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर पुनः कारण पृच्छा करते हुए जवाब प्राप्त किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 400 /न्या0, दिनांक 10/6/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विद्वान विशेष लोक अभियोजक,7 ई0सी0,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0 आई0 सी0, सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।
10/6/15